<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०प्रकरण),झालावाड़ (राजस्थान)</u>

पीठासीन न्यायाधीश-**बरकत अली**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप0वि0 जमानत आवेदन सख्या-102/2026</u>

<u>CiS No. 65/2026</u>

श्रवण पुत्र मोहनलाल, उम्र-35 साल, निवसी खतियासनी, डागियावास, पुलिस थाना डागियावास, जिला-जोधपुर(राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य.....**अप्रार्थी/ अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्राथमिकी संख्या-49/2026 थाना सारोलाकलां, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 30 NDPS Act

<u>उपस्थितः-</u>

1-श्री राजेश गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 09.03.2026</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

2- अभियोजन कहानी के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 19.02.2026 को बुद्धराम, थानाधिकारी, पुलिस थाना सारोलाकलां मय जाब्ता के अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ मोन्टु, राजुराम तथा श्रवण को लेकर ईदगाह के पास, तारज रोड, सारोलाकलां पर पहुंचे, जहां पर अभियुक्तगण ने बताया कि उन्होंने रात को पुलिस की नाकाबंदी देखकर उनकी क्रेटा कार जी.जे.-08-डी.एस-4862 में रखे हुए खाली कट्टे निकालकर नाले की पुलिया के पास डाल दिये थे। इस पर वाहन को रोककर देखा तो नाले की पुलिया के पास 4-5 कट्टे एक सफेद प्लास्टिक की डोरी से बंधे मिले, जिनको खोलकर चैक किया तो कुल-5 कट्टे मिले, जिनकी नियमानुसार तलाशी ली तो एक कट्टे में 14 ग्राम, दूसरे कट्टे में 11 ग्राम, तीसरे कट्टे में 11 ग्राम, चौथे कट्टे में 11 ग्राम तथा पांचवे कट्टे में 09 ग्राम कुल-56 ग्राम डोडा चूरा पाया गया, जिनको सीलचिट किया गया।

अभियुक्तगण पूर्व में भी वाणिज्यक मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी कर चुके है तथा वर्तमान में भी पूर्ण तैयार किये हुए थे। अभियुक्तगण को मौके पर गिरफ्तार किया गया। वापसी थाना पर मुकदमा न. 49/2026 धारा-8/15, 30 एनीडपीएस एक्ट दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण द्वारा सूचना दी गई कि उनके द्वारा पूर्व में तीन क्विंटल डोडा चूरा खरीदकर जोधपुर में छोटे छोटे पैकिट बनाकर बैचे थे। प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जब्तशुदा मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी भी प्रकार के कथित मादक पदार्थ की बरामदगी नही हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त राजुराम तथा अन्य अभियुक्त के कब्जे के पांच कट्टों में से कुल-56 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ था, जिसमें वे डोडा चूरा खरीदकर ले जाने वाले थे। अभियुक्त राजुराम के विरूद्व गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभय पक्ष के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का निम्न आपराधिक रिकार्ड होना अंकित किया गया है-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या, दिनांक व धारा	नाम थाना	चार्जशीट संख्या	विवरण
01	112/07.04.2022, धारा-8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट	बनाड, जोधपुर पूर्व	148/07.07.2022	पी.टी.
02	34/29.01.2022, धारा-8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट	देवली, टोंक	51/20.04.2022	पी.टी.

6- प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अपराध अर्न्तगत धारा-8/15,30 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तगण के कब्जे से पांच

कट्टो में से 56 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा उनकी निशादेही से बरामद किया गया था। अभियुक्तगण क्षेत्र में वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ डोडा चूरा खरीदने की तैयारी के साथ सारोलाकलां क्षेत्र में आये थे, जहां पर उनके द्वारा पुलिस की नाकाबंदी देखकर वाणिज्यिक मात्रा में खरीदकर जिन कट्टों में डोडा चूरा भरकर ले जाया जाना था, उन कट्टो को पुलिया के पास छिपा दिया गया था। अभियुक्तगण ने अनुसंधान के दौरान पूछताछ किये जाने पर कथन किया है कि उनके द्वारा पूर्व में तीन क्विटंल डोडा तस्करी कर जोधपुर ले जाया गया था तथा जोधपुर में छोटी-छोटी पुडिया बनाकर लोगों को बैचान कर दिया गया था। अभियुक्तगण द्वारा डोडा चूरा को छोटी छोटी पुडिया बनाकर लोगों को बैचकर उन्हें नशे का आदि बनाया जाने का कार्य किया जा रहा था। अभियुक्त श्रवण के विरूद्व गंभीर सामाजिक प्रकृति के अपराध का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्व पूर्व मे भी दो एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण दर्ज है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **श्रवण** की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा-483 भा.ना.सु.सं. इस प्रकरण में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN

Digitally signed by MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN
Date: 2026.03.10 16:49:40 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।